



भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला- 171003
Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, Shimla-171003

परिपत्र (प्रशासन)

विषय: केन्द्रीय राजस्व लेखा (CRA) एवं केन्द्रीय व्यय लेखा (CEA) संवर्गों के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के विस्तार के संबंध में।

Subject: Extension of last date for submission of options for CEA and CRA Cadres-reg
Hqrs. office vide Circular No. 46 Staff Wing/2025 issued under letter No. 1162 Staff (Appt.III)/167-2025 dated 05.12.2025, has conveyed that the last date for submission of options for centralised cadre of CRA, CEA and existing cadre has **been extended till 12.12.2025**. All Officers (Sr. Audit Officers and Asstt. Audit Officers) who are yet to submit the option forms, are advised to submit their **Option Forms (Part-A and Part-B)** accordingly.

मुख्यालय ने परिपत्र संख्या 46 स्टाफ विंग/2025 पत्र संख्या 1162 स्टाफ (App.III)/167-2025 दिनांक 05.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि केन्द्रीय राजस्व लेखा (CRA) एवं केन्द्रीय व्यय लेखा (CEA) संवर्गों तथा वर्तमान संवर्ग का विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 12.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।** सभी अधिकारी (वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों) को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 12.12.2025 से पहले अपने विकल्प फॉर्म (पार्ट -ए और पार्ट -बी) जमा करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

-हस्ता/-

व० लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

सं० प्रशा०/ ले०प०/सृजन/कैडर/CRA एवं CEA/2025-26/2469-76

दिनांक: 08.12.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. सचिव प्रधान महालेखाकार ।
2. निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
3. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ले०प० प्र०स०- II)
4. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ले०प० प्र०स०- III)
5. कल्याण अधिकारी ।
6. व० लेखापरीक्षा अधिकारी (आई०टी० एवं डाटा एनालिटिक्स), कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. सभी सम्बंधित अधिकारी।
8. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर) ।

व० लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

08/12